न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर अहकाम की तामील हुए
	हरिराम ..... बनाम रामअवतार वगै. मु.नं.– 31/22 किस्म – T.S	

17.10.25

अभिभाषकों के द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.10.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

31.10.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
31/2022	26.05.2022	31.10.2025

बउनवान

1. हरीराम शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा, निवासी पहाडी, तहसील महवा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. रामअवतार शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा, निवासी पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. मुकेश चन्द पुत्र किशनचरण, निवासी नदबई, तहसील नदबई, भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री शिवदत्त जैमिनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम पहाडी, तहसील महवा का सीधा साधा काश्तकार है तथा अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर तथा अप्रार्थी सं. 2 नदबई के मूल निवासी है। प्रार्थी की ग्राम पाखर, तहसील मण्डावर में आराजी जिसे प्रार्थी द्वारा सिरिस कुमार पुत्र रामकिशन, निवासी भरतपुर तथा सियाराम पुत्र धनीराम, निवासी नैवाडी, तहसील वैर, जिला भरतपुर से जरिये विक्रय विलेख क्रय किया था जो आराजीयात खाता संख्या 463 के खसरा नं. 1605, 1608, किता 2, कुल रकबा 1.21 हैक्टे. में से 1/3 हिस्सा तथा सौदान सिंह पुत्र रामजीलाल, जाति राजपूत, निवासी पीपला, तहसील भरतपुर, जिला भरतपुर में खसरा नं. 1605 तथा 1608, किता 2, रकबा 1.21 हैक्टे. में से 1/6 भाग क्रय किया था। प्रार्थी उक्त आराजीयात पर वर्तमान में 1/2 भाग पर काबिज एवं दाखिल है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत तकारमा नहीं हुआ है और विधिवत तकास्मा नहीं होने के कारण हम पक्षकारान के बीच विवाद बना हुआ है और बिना विधिवत तकास्मा हुये वादी को काश्त करने में परेशानी आ रही है। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पाखर प्रथम का मूल निवासी है तथा प्रार्थी करीब 15 किलोमीटर दूर का निवासी है। इसी कारण प्रार्थी जब भी अपने हिस्से के आराजीयात पर काश्त करने आता है तो अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को जान से मारने की धमकी तथा भूमाफियाओं से कब्जा करवा देने की धमकी देता है। प्रार्थी दिनांक 23.05.2021 को बारिश हो जाने से अपने हिस्से की आराजीयात को जोतने और बुवाई हेतु सफाई के लिये गया तो अप्रार्थी सं. 1 ने कहा कि तुम यहां से भाग जाओं, मैं तुम्हारे हिस्से की आराजीयात को भूमाफियाओं का कब्जा करवा के पक्का निर्माण करवा के रहूंगा और बारिश हो जाये तो तुम्हें मैं इस भूमि पर बुवाई नहीं करने दूंगा। इसलिए माननीय न्यायालय में दावा स्थाई निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि इस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

भूमि का सहमति से विधिवत बंटवारा करवा कर अपनी–अपनी जगह काबिज हो जाओ परंतु अप्रार्थीगण तकास्मा कराने को तैयार ही नहीं है जिससे प्रार्थी को न्यायालय का शरण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी को दी गई धमकी में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होती है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है क्योंकि प्रार्थी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार व्यक्ति है और खातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में ही है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त विवादित आराजीयात पर बिना विधिवत तकास्मा किये राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन, नामांतरण में बदलाव की कार्यवाही ना करें, खाम व पुख्ता निर्माण ना करें। वादी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि पर वादी को बुवाई, जुताई करने तथा फसल को काटने के समय किसी प्रकार का झगड़ा–फसाद ना करें, किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा ना करें, किसी दीगर व्यक्ति को रहन–बय ना करें तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पेश किये गये किसी भी प्रकार का रहननामा, बयनामा, विक्रयपत्र आदि को बहैसियत पंजीयन अधिकारी, पंजीयन करने से तथा भूमिधारी राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार की तब्दीली ना करें और राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने के लिये अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 26.05.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1605, 1608 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा नोटिस तामील होने पर स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तद्नुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

***212.** व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अमित कुमार वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार, विवादित आराजीयात में प्रार्थी दर्ज रिकॉर्ड सहखातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र का न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, विवादित आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने या नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पाखर, पटवार हल्का पाखर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1605, 1608 के सम्बन्ध में, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजाहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा) राज